

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 22/11 दिनेश बैठा बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य आदेश</p> <hr/> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 219 दिनांक 13.1.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 16.11.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जाँच दल (अंचलाधिकारी, तरैया एवं अंचलाधिकारी, इसुआपुर) के द्वारा दिनेश बैठा, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं० 46/07, ग्राम-बसतपुर, पंचायत-बसहियों, थाना+प्रखंड-पानापुर की दूकान की जाँच की गयी। जाँच के कम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जाँच नहीं की जा सकी तथा मॉंगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है। <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3389 दिनांक 4.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण वूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।</p> <p>अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञा अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जाँच की तिथि को सुबह विक्रेता</p>	




की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गयी थी, जिसकी ईलाज कराने हेतु वे छपरा चले गए थे, इस कारण से उनकी दूकान बंद थी। विक्रेता अपने घर के अकेले सदस्य हैं। चाबी अपने साथ ले जाने की वजह से जाँच दल को दूकान खोलकर दिखाना या कागजात दिखाना संभव नहीं हो सका। प्रत्येक माह इनके द्वारा सभी सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञा अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।


सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञा विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनकी दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित



जि.जा. दंडाधिकारी,
सारण, छपरा


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक.....1056.....दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपि:-अनुमंडल पदाधिकारी,मढ़ौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जि.जा. सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।


वरिय उप-समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण, छपरा।
15/12/14